

आवश्यक सूचना

बंगाली मूल के छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत "गुरु चांद ठाकुर स्मृति सहायता कोष" (कार्य क्षेत्र-सम्पूर्ण उत्तराखण्ड) योजना संचालित है। उक्त आर्थिक सहायता हेतु पात्रता निम्नानुसार है :-

- 01- सत्र 2025-26 में अध्ययनरत सामान्य शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र एवं छात्राएं इस आर्थिक सहायता के पात्र होंगे।
- 02- शिक्षण संस्थान से निर्धारित आवेदन पत्र पर स्वीकृति एवं मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा फीस की रसीद की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 03- पिता/अभिभावक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रूपया 250000-00 (रूपया दो लाख पचास हजार मात्र) तक का तहसील स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
- 04- छात्रवृत्ति प्राप्त किये जाने हेतु जाति प्रमाण पत्र।
- 05- विगत शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक छात्र/छात्रा आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- 06- आवेदन हेतु आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट में 'सूचनाएं' टेब से व <https://socialwelfare.uk.gov.in/hi/news-2/> से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 07- आवेदन के सम्बन्ध में स्वीकृति/अस्वीकृति/भुगतान सम्बन्धी अन्तिम निर्णय कोष की नियमावली के क्रम में गठित समिति के द्वारा लिया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या-3129 दिनांक 13 जनवरी 2026 के द्वारा उक्त कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र छात्र एवं छात्राओं को शिक्षण संस्थान से निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र को स्वीकृत करा कर उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ दिनांक 09 फरवरी 2026 तक आमन्त्रित किये गये थे उक्त तिथि को दिनांक 10 फरवरी 2026 से दिनांक 20 फरवरी 2026 तक विस्तारित की जाती है, अतः समस्त छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय विकास भवन, कमरा नम्बर 124 में निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र पूर्ण औपचारिकताओं सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अपूर्ण तथा अन्तिम तिथि के प्रश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

मुख्य विकास अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 4000/स0क0/विज्ञप्ति/2025-26

दिनांक 10 फरवरी 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01-जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर।
- 02-मुख्य विकास अधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर।
- 03-खण्ड विकास अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रचार-प्रसार हेतु अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
- 04-अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत जनपद ऊधमसिंह नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रचार-प्रसार हेतु अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
- 05-समस्त शैक्षणिक संस्थानों जनपद ऊधमसिंह नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रचार-प्रसार हेतु अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

